पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / स्था०–38 / 2018 सो0–909

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 02/07/2018

विषयः– **नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों / कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणो से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पुर्ननियोजन के संबंध में।**

महाशय,

शासी परिषद की दिनांक 24.05.2018 को सम्पन्न बैठक में शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों / आई.टी. सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों / आई.टी. सहायकों का अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं में आर्दश आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के क्रम में नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों / आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु अलग पैनल के निर्माण एवं उनके पुर्ननियोजन दिशा निदेश निम्नवत् है :–

1. सभी जिलों द्वारा उनके जिले के नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु एक अलग पैनल एवं नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु एक अलग पैनल का निर्माण किया जायेगा।

2. सर्वप्रथम जिला के संबधित कार्यालय (जिसके द्वारा पैनल निर्माण, नियोजन एवं नियोजनमुक्ति संबधित कार्रवाई की जाती है) द्वारा अपने अभिलेखो / दस्तावेजो के आधार पर नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों / कार्यपालक सहायकों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें नियोजनमुक्ति की तिथि एवं कारण विशेषकर अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि नियोजनमुक्ति की तिथि एवं कारणो का सत्यापन करने के क्रम में नियोजनमुक्त कर्मियों के आवेदन / दावा पर विधिवत निर्णय लिया जा सके।

3. जिलो द्वारा पैनल निर्माण हेतु वैसे नियोजनमुक्त आई0टी0 सहायक / कार्यपालक सहायक (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) जो पुर्ननियोजन हेतु इच्छुक है, से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। त्याग पत्र के मामलो को इसके अतंर्गत शामिल नहीं किया जायेगा। एकरूपता एवं सुलभ प्रसंग हेतु विज्ञापन का प्रारूप तथा आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर पत्र के साथ दिया जा रहा है। विज्ञापन का प्रकाशन कम से कम जिला के तीन प्रमुख अखबारों में तथा जिला के वेबसाईट पर किया जायेगा।

4. विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि का वर्णण किया जायेगा (जो विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 30 दिन बाद की तिथि होगी)।

5. नियत तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के अभ्यथियों का पैनल तैयार करने का कार्य जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता मे गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति द्वारा संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखो / दस्तावेजो के आधार पर नियोजनमुक्त आई0टी0 सहायक / कार्यपालक सहायक के आवेदनों में पुर्ननियाजन संबंधित निहित दावा की जॉच की जायेगी।

6. जॉच/सत्यापन के क्रम में सही पाये गये नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणो से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के **नियोजनमुक्ति की तिथि के आवर्ती क्रम** में नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों एवं नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों का अलग–अलग पैनल तैयार किया जायेगा। अर्थात पहले नियोजनमुक्त कर्मियों को बाद में नियोजनमुक्त कर्मियों की तूलना में, पैनल में शामिल किये जाने में क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ष अथवा किसी भी पैनल से नियोजित किये गये हों। पैनल निर्माण में वरियता निर्धारण के क्रम में नियोजनमुक्त कर्मियों के नियोजनमुक्ति की तिथि समान होने की स्थिति में आयु के आधार पर वरियता दी जायेगी।

7. चयन समिति द्वारा तैयार किये गए पैनल का प्रकाशन जिला के तीन प्रमुख अखबारों में तथा जिला के वेबसाईट पर किया जायेगा एवं तत्संबधि सूचना सभी आवेदकों को पत्र, ईमेल एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।

8. भविष्य में इन पदों पर नियोजन हेतु उत्पन्न होने वाली रिक्तियों/प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के आलोक में सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये नियोजन की कार्रवाई की जायेगी। इस पैनल के अंतर्गत संगत कोटि के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिती में जिला स्तर पर पूर्व से तैयार वैध पैनल (जिसकी तीन साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है) से आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

9. उपरोक्त प्रकिया के तहत नवसृजित पैनलों की वैधता मात्र एक साल की होगी।

10. पैनल के प्रकाशन के उपरांत नियोजनमुक्त होने वाले आई0टी0 सहायक/कार्यपालक सहायक (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के मामले में उपरोक्त प्रकिया अपनाते हुये, नवसृजित पैनलों की वैधता समाप्त होने के उपरांत, आवेदन/सहमति प्राप्त कर विधिवत प्रकिया अपनाते हुए अगले पैनल का निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के साथ पैनल निर्माण हेतु निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जाये :–

क्र0स0	गतिविधि	गतिविधि पुरा करने हेतु निधारित अंतिम तिथि
1	जिलो द्वारा अपने अभिलेखो/दस्तावेजो के आधार पर नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों की सूची तैयार करने की कार्रवाई	10 जुलाई 2018 तक
2	विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई	15, जुलाई 2018 तक
3	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14, अगस्त 2018 तक
4	पैनल का निर्माण एवं प्रकाशन	30, अगस्त 2018 तक

कृपया इसे उचित प्राथमिकता दी जाये।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

2.7.18

(आमिर सुबहानी)
मिशन निदेशक–सह–प्रधान सचिव

E:\~PRASHANT KUMAR\Ao sir\MD LETTER2.docx

समाहरणालय, ... ।
(जिला स्थापना शाखा)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत नियोजित आई0टी0 सहायकों में से नियोजनमुक्त आई0टी0 सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु आई0टी0 सहायक के पदों पर संविदा पर पुर्ननियोजन के लिए पैनल निर्माण संबंधी आवश्यक सूचना।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत नियोजित आई.टी.सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) आई.टी. सहायकों का अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से पुर्ननियोजन की कार्रवाई की जानी है। आई.टी. सहायका के पद पर संविदा पर पुर्ननियोजन हेतु पैनल निर्माण किया जाना है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः–

1. **नियुक्ति अवधि :–**
   नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे बढ़ायी जा सकेगी।

2. **पैनल वैधताः–**
   पैनल की वैधता पैनल प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक होगी।

3. **चयन का आधार :–**
   जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन कमिटी द्वारा नियोजित आई.टी. सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) आई.टी. सहायका का अलग पैनल तैयार किया जायेगा, जिससे लागू नियमानुसार आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए पुर्ननियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

4. **आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः–**
   आवेदन मात्र उन लोगो के द्वारा भरा जायेगा जो आई0टी0 सहायक के संविदातमक पद पर कार्य करते हुए नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हुए थे। आवेदक मात्र उसी जिला अंतर्गत आई0टी0 सहायक के संविदातमक पद हेतु किया जायेगा जिस जिला में आई0 टी0 सहायक के पद पर कार्य करते हुए नियोजनमुक्त हुये थे। आवेदन प्रपत्र (संलग्न) में सभी सूचनाओं को भरकर जिला के पता .... पर पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है, इसके अतिरिक्त जिला स्थापना शाखा के ....में भी हाथों–हाथों जमा कराया जा सकता है तथा पावति ली जा सकती है।
   आवेदन पत्र में वर्णित सभी विवरणों से संबधित कागजातों/दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति काउन्सेलिंग के समय बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

5. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि .... के अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित है।**

6. जिला पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर दे।

जिला पदाधिकारी
..............., बिहार

<u>बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों के पुर्ननियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र</u> :–

फोटो

1. नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. माता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. लिंग :–
6. आरक्षण वर्ग :–
7. दिव्यांग (यदि लागू हो) :–
8. स्थायी पता :–

9. पत्राचार का पता :–

10. दूरभाष / मोबाईल संख्या :–
11. ई–मेल पता :–
12. पहचान का चिन्ह :–
13 शैक्षणिक योग्यता :–

14. पिछले नियोजन का विवरण* :–
    (नियोजन का आदेश एवं दिनांक, आदि)
15. पिछले नियोजन मुक्ति का विवरण** :–
    (नियोजन मुक्ति का आदेश एवं दिनांक, कारण, आदि)

हस्ताक्षर

* पिछले नियोजन से आशय उस पद एवं कार्यालय से है जहॉ कार्य करते हुए नियोजन मुक्त किये गए है।
** विवरणी में नियोजन मुक्ति की तिथि एवं कारण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । त्याग पत्र के मामले विचारणीय नहीं होगें।